न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 11/2018/अपील/एलआरएक्ट/बांरा

तारीख दायराः 11.1.2018

अन्तर्गत धाराः 75 (1) (एफ) एल.आर.एक्ट

उनवान

1 जगरूप आत्मज स्व0 अमरलाल जाति लोधा निवासी ग्राम हानाहेडी तहसील छबडा जिला बांरा।

...अपीलांट

बनाम

1 कालूलाल
2 रामनाथ
3 फूलसिंह
4 रामकिशन

पिसरान स्व0 अमरलाल जाति लोधा निवासी ग्राम भावपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बांरा।

5 श्रीमती लक्ष्मा उर्फ लक्ष्मीबाई पुत्री स्व0 अमरलाल जाति लोधा निवासी ग्राम भावपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बांरा

6 राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक कोटा

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी
श्री विघाशंकर गोस्वामी अभिभाषक रेस्पो0 क्रम 1, 3 ता 5

:::निर्णय:::

दिनांक 11.7.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार, तहसील छीपाबडौद जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण क्रमांक/भू.अ./201 जगरूप बनाम कालू वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 4.1.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (1) (एफ) एलआरएक्ट अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम भावपुरा मे किता 3 रकबा 26 बीघा 0 बिस्वा तथा दुसरे खाते मे किता 4 रकबा 8.13 बिस्वा भूमि के खातेदार अमरलाल आ0 गणेशराम जाति लोधा की दिनांक 20.11.2006 को मृत्यु होने उपरांत जगरूप द्वारा मृतक खातेदार अमरलाल की पहली पत्नि कचंनबाई के नुफते से तथा दुसरी पत्नी चम्पाबाई के नुफते से अप्रार्थीगण/रेस्पो0 क्रम 1 ता 5 संतान होने से वारिसान के नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु दिनांक 30.3.2007 को जगरूप द्वारा तथा दिनांक 11.9.2007 को रेस्पो0 द्वारा वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक अमरलाल के वारिसान मे चार पुत्र कालू रामनाथ रामकिशन उर्फ हरिकिशन फूलसिंह व पुत्री लक्ष्माबाई जायज वारिसान होने का दिनांक 4.1.2018 को निर्णय पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील राज भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (1) (एफ) मे इस न्यायालय मे पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट मृतक अमरलाल का पुत्र होने से उनका कानूनन उत्तराधिकारी है इस तथ्य को अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे शहादत से प्रमाणित कर दिया था इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पिता मृतक खातेदार अमरलाल के खाते की भूमि मे अपीलांट का नाम दर्ज नही कर जेरअपील आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि अपीलांट के पिता अमरलाल का विवाह कंचनबाई से हुआ था तथा अमरलाल के नुत्फे से कंचनबाई के एक पुत्र अपीलांट जगरूप पैदा हुआ था बाद मे कंचनबाई व अमरलाल के मध्य अनबन हो जाने से वैवाहिक मतभेद

होने से कंचनबाई अपीलाट को लेकर अपने पीहर आ गई थी कुछ समय बाद कंचनबाई ने जवारीलाल उर्फ जवाहरीलाल जाति लोधा निवासी हान्याखेडी तहसील छबडा से नाता विवाह कर लिया जिससे कंचनबाई के अन्य संतान हुई थी। अमरलाल ने चम्पाबाई नामक महिला से नाता विवाह कर लिया जिससे रेस्पो0 क्रम 1 लगायत 5 संतान हुई थी। प्रथम पत्नि के जीवित रहते हुये एवं दुसरा विवाह सर्वथा अवैध एवं प्रभावशून्य है। उपरोक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति होने से रेस्पो0 का कानूनन उपरोक्त भूमि मे कोई हक अधिकार एवं हित निहित नही है। इस बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर जेरअपील आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अपीलांट की माता कंचनबाई के नाते शुदा पति जवारीलाल की मृत्यु हो चुकी है अपीलांट जवारीलाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी नही है इस कारण जवारीलाल के खाते की भूमि अपीलांट के खाते दर्ज नही हुई थी। जवारीलाल की भूमि उसके पुत्रो भंवरलाल, फूलसिंह के खाते दर्ज की गई थी। अपीलांट को ग्राम खेरखेडा लक्ष्मण एवं ग्राम नीमखेडा तहसील छबडा की भूमि आवंटित हुई थी जिसमे भी अपीलांट की वल्दियत अमरलाल दर्ज है राशनकार्ड, सहकारी किशन कार्ड एवं आधार कार्ड मे भी अपीलांट के पिता नाम अमरलाल दर्ज है अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सरकारी रिकार्ड की प्रतियों को नजरअंदाज कर जेरअपील आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने समुचित रूप से जांच किये बिना ही एलआरएक्ट एवं एलआर रूल्स, हिन्दूउत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानो के विपरीत हुक्म जेरअपील प्रदान करने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांट के पिता मृतक खातेदार अमरलाल पुत्र गणेशराम जाति लोधा नि0 ग्राम भावपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बांरा का फौती नामान्तरकरण अपीलांट के पक्ष मे तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात पब्लिक दस्तावेज होने से न्यायहित मे रेकार्ड पर लिया जावे। बहस मे आगे कथन किया कि अमरलाल की मृत्यु दिनांक 20.11.2006 हो हुई है। अपीलांट मृतक अमरलाल का पुत्र होने से उनका कानूनन उत्तराधिकारी है तथा मृतक अमरलाल की भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करने का कानूनन अधिकारी है। इस तथ्य को अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे शहादत से प्रमाणित कर दिया था इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पिता मृतक खातेदार अमरलाल के खाते की भूमि मे अपीलांट का नाम दर्ज नही कर जेरअपील आदेश दिनांक 4.1.2018 पारित करने मे त्रुटि की है। बहस मे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि अपीलांट के पिता अमरलाल का विवाह कंचनबाई से हुआ था तथा अमरलाल के नुत्फे से कंचनबाई के एक पुत्र अपीलांट जगरूप पैदा हुआ था बाद मे कंचनबाई व अमरलाल के मध्य अनबन हो जाने से वेवाहिक मतभेद होने से कंचनबाई अपीलाट को लेकर अपने पीहर आ गई थी कुछ समय बाद कंचनबाई ने जवारीलाल उर्फ जवाहरीलाल जाति लोधा निवासी हान्याखेडी तहसील छबडा से नाता विवाह कर लिया जिससे कंचनबाई के अन्य संतान हुई थी। अमरलाल ने चम्पाबाई नामक महिला से नाता विवाह कर लिया जिससे रेस्पो0 क्रम 1 लगायत 5 संतान हुई थी। प्रथम पत्नि के जीवित रहते हुये एवं दुसरा विवाह सर्वथा अवैध एवं प्रभावशून्य है। उपरोक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति होने से रेस्पो0 का कानूनन उपरोक्त भूमि मे कोई हक अधिकार एवं हित निहित नही है। इस बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर जेरअपील आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अपीलांट की माता कंचनबाई के नाते शुदा पति जवारीलाल की मृत्यु हो चुकी है अपीलांट जवारीलाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी नही है इस कारण जवारीलाल के खाते की भूमि अपीलांट के खाते दर्ज नही हुई थी। जवारीलाल की भूमि उसके पुत्रो भंवरलाल, फूलसिंह के खाते दर्ज की गई थी। अपीलांट को ग्राम खेरखेडा लक्ष्मण एवं ग्राम नीमखेडा तहसील छबडा की भूमि आवंटित हुई थी। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं0 2061-65 एवं 2070-2073 अपीलांट जगरूप के पिता का नाम अमरलाल दर्ज है राशनकार्ड, सहकारी किशन कार्ड एवं आधार कार्ड तथा वोटर लिस्ट पंचायत मतदाता सूची 2009 क्रम सं0 31 मे भी अपीलांट के पिता नाम अमरलाल दर्ज है अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सरकारी रिकार्ड की प्रतियों को नजरअंदाज कर जेरअपील आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। बहस मे यह भी प्रकट किया कि रेस्पो0 मे अधीनस्थ न्यायालय मे वारिस प्रार्थना पत्र की छायाप्रति पेश की है ग्राम पंचायत को वारिस होने का प्रार्थना पत्र देने का अधिकार नही है केवल डिस्ट्रीक जज द्वारा ही वारिस घोषित किया जा सकता है अपने कथन के समर्थन मे आरबीजे 1998 पेज 487 की नजीर पेश करते हुये अपील स्वीकार कर जेरअपील आदेश/निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने तथा मृतक अमरलाल की आराजी का नामान्तरकरण रेस्पो0 के साथ-साथ अपीलांट के पक्ष मे तस्दीक करने का आदेश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी का विरोध करते हुये कथन किया कि दस्तावेज पहले से रिकार्ड मे मौजूद है जमाबंदी भी रिकार्ड मे है ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र

आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी खारिज करने का अनुरोध करते हुये अपने कथन के समर्थन मे डीएनजे (राज.) 2019 (2) पेज 826 की नजीर पेश की। बहस मे यह भी कथन किया कि राशनकार्ड पंजिका हानाहेडी मे जगरूप पिता जवारीलाल अंकित है जो पत्रावली मे उपलब्ध है अवलोकन फरमाया जावे। विधानसभा वोटर लिस्ट 114–छबडा मे जगरूप पिता जेवारीलाले क्रम सं0 511 पर दर्ज है। अपीलाट के गवाहों मे से किसी ने नही कहा कि हमारे सामने जगरूप का जन्म हुआ। अधीनस्थ न्यायालय के ट्रायल के समय जगरूप की मॉ जीवित थी जिसका बयान नही करवाया गया। जगरूप 80 वर्ष का है पहले कार्यवाही नही की। मेरा गवाह अमरलाल के विवाह मे गया था गवाह प्रहलाद आ0 भेरूलाल की उम्र 72 वर्ष है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे समुचत तथ्यो का अवलोकन करते हुये जेरअपील निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष निहित नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा जेरअपील निर्णय दि0 4.1.2018 तथा प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक नजीरें क्रमशः आरबीजे 1998 पेज 487 एंव डीएनजे (राज.) 2019 (2) पेज 826 का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया। प्रकरण मे अपीलांट की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी के साथ प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम खेरखेडा तहसील छबडा खातेदार जगरूप सं0 2070–73 तथा सं0 2062–65 व प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम खेरखेडा तहसील छबडा गैरखातेदार जगरूप सं0 2042–45, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम नीमखेडा तहसील छबडा खातेदार भंवरलाल फूलसिंह वगेरा सं0 2062–65 प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम हानाहेडी तहसील छबडा खातेदार भंवरलाल फूलसिंह वगेरा 2060–63 प्रमाणित प्रतिलिपी पंचायत मतदाता सूची वर्ष 2009 ग्राम हान्याहेडी वार्ड नं0 7 क्रमांक 131, 132 जगरूप व काशीबाई , प्रमाणित प्रतिलिपी राशनकार्ड पंचायत समिति, मुखिया जगरूप ग्राम हान्याहेडी पब्लिक दस्तावेज होने से रिकार्ड पर लिये जाने का पेश किया गया जिसका विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने दौराने बहस विरोध करते हुये कथन किया उक्त दस्तावेज पहले से ही रिकार्ड पर मौजूद है ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया। प्रस्तुत दस्तावेजात एवं उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि उक्त उल्लेखित दस्तावेजात पब्लिक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां है तथा जो प्रकरण के निर्णय मे सहायक होने से न्यायहित मे प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये जाते है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा उक्त वर्णित दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम खेरखेडा तहसील छबडा खातेदार जगरूप सं0 2070–73 तथा सं0 2062–65 व प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम खेरखेडा तहसील छबडा गैरखातेदार जगरूप सं0 2042–45, मे जगरूप के पिता का नाम अमरलाल अंकित है इसी प्रकार पंचायत मतदाता सूची वर्ष 2009 ग्राम हान्याहेडी वार्ड नं0 7 क्रमांक 131 पर जगरूप/अमरलाल तथा क्रमांक 132 पर काशीबाई/जगरूप अंकित है, प्रमाणित प्रतिलिपी राशनकार्ड ग्राम पंचायत हान्याहेडी मे जगरूप पिता अमरलाल मुखिया अंकित है। अतः उक्त राजस्व रिकार्ड/दस्तावेजात के अवलोकन से अपीलांट जगरूप मृतक अमरलाल का जायज पुत्र होने से उनका कानूनन उत्तराधिकारी है तथा मृतक अमरलाल की भूमि के नामान्तरकरण मे अपना नाम दर्ज करने का कानूनन अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे तथ्यो एवं दस्तावेजात का समुचित परीक्षण नही कर जेरअपील निर्णय दिनांक 4.1.2018 पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा प्रकरण क्रमांक/भू.अ./201 जगरूप बनाम कालू वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 4.1.2018 अपास्त किया जाता है। मृतक खातेदार अमरलाल पुत्र गणेश जाति लोधा निवासी भावपुरा की ग्राम भावपुरा स्थित आराजी का नामान्तरकरण विधिअनुसार वारिसान कालू, रामनाथ, रामकिशन उर्फ हरिकिशन, फूलसिंह व पुत्री लक्षमाबाई (रेस्पो0 क्रम 1 लगा0 5) एंव अपीलांट जगरूप आ0 अमरलाल के नाम नियमानुसार तस्दीक किये जाने हेतु तहसीलदार छीपाबडौद जिला बांरा को आदेशित किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 11.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा